

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 359 / 2009

संस्थित दि.: 06 / 07 / 2009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

शंकर गेड़ाम पिता वारलु गेड़ाम उम्र 45 वर्ष जाति महार
 साकिन पानीटोला उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 19 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर स्वपाक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा-8(क), 20 के तहत आरोप है कि आरोपी दिनांक 24.05.2009 को 13.50 बजे अपने मकान ग्राम पानीटोला उकवा थानांतर्गत रूपझर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा (केनेबिस) की कुल 500 ग्राम स्वयं के उपयोग या अन्य किसी के उपयोग किये जाने हेतु बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि उपनिरीक्षक आर.के. शर्मा चौकी उकवा को दिनांक 24.5.2009 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पानीटोला उकवा का शंकर गेड़ाम उसके घर के सामने छप्पर के नीचे एक एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजा रख छोटी-छोटी पुड़ियों में 100-100 रूपए में बेच रहा है। सूचना पर आरक्षक क्र. 722 ब्रजलाल को दो स्वतंत्र साक्षी लाने उकवा रवाना किया तथा मुखबिर की सूचना से एस.डी.ओ.पी. बैहर को अवगत कराने पर उनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। आरक्षक क्र. 267 भीमचंद पारधी को मुखबिर सूचना पंचनामा का प्रतिवेदन लेकर एस.डी.ओ.पी. बैहर के कार्यालय रवाना किया। बाद में स्वयं हमराह बल प्रधान आरक्षक क्र. 471 नरेंद्र दुबे, आरक्षक क्र. 722 ब्रजलाल, आरक्षक क्र. 491

विजय यादव, साक्षी शिवकुमार मिश्रा, निक्की चौकसे तथा आवश्यक अनुसंधान सामग्री के पानीटोला रवाना हुए तो पानीटोला मोहल्ला के एक मकान के सामने छप्पर के नीचे एक दुबला व्यक्ति पुलिस सामने देख उठा। उसके बगल में एल्युमिनियम का डिब्बा भी था। उसका नाम पूछने पर अपना नाम शंकर गेड़ाम बताया। उसे मुखबिर सूचना से अवगत कर उसकी तलाशी के बारे में बताने पर संदेही शंकर ने उसकी व मकान की तलाशी हेतु सहमति लिखित में प्राप्त किया। संदेही शंकर गेड़ाम के सामान की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एल्युमिनियम डिब्बे में अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिसका परीक्षण किया तो गांजा होना पाया गया। फिर तराजू एवं बांटों का भौतिक सत्यापन कर बरामद मादक पदार्थ गांजे का वजन 500 ग्राम पाया गया और 500 ग्राम गांजे में से 50-50 ग्राम गांजा सेम्पल लिये तथा संपूर्ण बरामद गांजे के तीनों पैकेट जप्त कर सीलबंद किये गये। आरोपी शंकर गेड़ाम से बरामद मादक पदार्थ गांजा के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जिससे आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर नक्शा मौका तैयार कर हमराह बल, आरोपी, जप्तशुदा माल सहित चौकी वापस आकर पुलिस चौकी उकवा में अपराध क्र. 0/098 अन्तर्गत धारा-8, 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट. का तथा असल कायमी थाना रूपझर में अपराध क्र. 56/09 का अपराध पंजीबद्ध किया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर धारा-8, 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा-8(क), 20 स्वपाक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर एवं झूठी विवेचना कर उसे झूठा फसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी दिनांक-24.05.2009 को 13.50 बजे अपने मकान ग्राम पानीटोला उकवा थानांतर्गत रूपझर में अवैध रूप से मादक पदार्थ

गांजा (केनेबिस) की कुल 500 ग्राम स्वयं के
उपयोग या अन्य किसी के उपयोग किये जाने
हेतु बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी आर.के. शर्मा (अ.सा. 1) का कहना है कि वह दिनांक 24.05.2009 को चौकी उकवा में कार्यरत था। मुखबिर द्वारा उसे सूचना दी गई थी कि पानीटोला मोहल्ला उकवा में शंकर गेडाम उसके घर के सामने छप्पर के नीचे एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया रखकर .100/-, 100/- रुपये में बेच रहा है। सूचना पर उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 587 पर दर्ज कर एस.डी.ओ. पी. को टेलीफोन से बताया, अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये जाने पर आरक्षक ब्रजलाल को कस्बा साक्षी को तलब करने हेतु रोजनामचा सान्हा 588 पर दर्ज कर खाना किया। आरक्षक ब्रजलाल द्वारा साक्षी शिवकुमार एवं निक्की चौकसे को थाने लाकर पेश किया। साक्षियों को मुखबिर की सूचना का पंचनामा लेखबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-01 है। सान्हा एस.डी.ओ.पी. को भेजा गया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-02 है। हमराह प्रधान आरक्षक नरेन्द्र दुबे, ब्रजलाल, विजय मय अनुसंधान के एवं तराजू बांट के साथ तलब पंचाग के साथ मोटरसायकिल से पानीटोला मोहल्ला के अन्तिम छोर पर पहुंचने पर एक व्यक्ति दुबला-पतला दिखायी दिया। उसके पास एक एल्युमिनियम का डिब्बा था। नाम पता पूछने पर शंकर गेडाम बताया था। एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार उसकी तलाशी एवं उसके सामान की तलाशी का सहमति पंचनामा मौके पर तैयार किया। सन्देही द्वारा लिखित में सहमति देने पर 50 एन.डी.पी.एस के तहत प्रदर्श पी-03 का पंचनामा तैयार किया, जिस पर साक्षी शिवकुमार एवं निक्की चौकसे के और सन्देही शंकर गेडाम के हस्ताक्षर करवाये गये। सन्देही शंकर गेडाम के सामने हमराह स्टाफ की भी तलाशी ली गई, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-04 है। सन्देही शंकर गेडाम के पास पाये गये एल्युमिनियम की सफेद डिब्बे की तलाशी ली गई, डिब्बे में 50 ग्राम की छोटी-छोटी पन्निया पाई गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-05 है। सन्देही शंकर गेडाम के पास पाये गये अवैध मादक पदार्थ गांजा को सुंघकर देखकर एवं चलाकर तथा पुरानी अनुभव के आधार पर

मादक पदार्थ गांजा होना पाया। साक्षियों द्वारा भी गांजे होने की पुष्टि की गई। मौके पर पहचान कार्यवाही और बरामदगी पंचनामा तैयार किया, जो प्रदर्श पी-06 है, जिस पर गवाह और आरोपी के हस्ताक्षर हैं। सन्देही शंकर गेडाम के समक्ष तराजू बांट का भौतिक सत्यापन का पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-07 है। सन्देही आरोपी शंकर गेडाम के कब्जे में पाये गये मादक पदार्थ को मय डिब्बे का वजन किया गया, जिसमें गांजा का वजन 250 ग्राम एवं 250 ग्राम वजन डिब्बे का कुल वजन 500 ग्राम होना पाया गया, जिसका तौल एवं समरस पंचनामा प्रदर्श पी-08 है। सन्देही आरोपी शंकर गेडाम से बरामद अवैध गांजा 500 ग्राम में से 50-50 ग्राम के दो सेम्पल निकालकर पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। सन्देही शंकर गेडाम के कब्जे में पाये गये शेष 400 ग्राम गांजा एल्युमिनियम का डिब्बा जप्त कर सीलबंद किया गया। 50-50 ग्राम की पन्निया आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 तथा 400 ग्राम गांजा के डिब्बे को "ए" मार्क किया गया और जप्ती पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-10 है। मौके पर आरोपी शंकर गेडाम के नमूने तैयार किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-11 है। आरोपी को पंचागों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। ए.डी.पी.एस. की धारा 52 में आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी को दी थी, जो प्रदर्श पी-13 है, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी -14 है। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-15 है। आरोपी को थाने लाकर चौकी पर अपराध क्रमांक 0/09 अन्तर्गत ए.डी.पी.एस. की धारा 8/20 कायम किया था, जो प्रदर्श पी-16 है। असल कायमी हेतु थाना रूपझर भेजा था। अपराध संबंधित धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. बैहर को भेजा गया, जो प्रदर्श पी-17 है। जप्त किये गांजे के परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफ.एस.एल सागर भेजा गया।

(07) अभियोजन साक्षी आरक्षक ब्रजलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि वह राजकुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक नरेंद्र दुबे के साथ आरोपी शंकर के मकान में गया था। आरोपी के घर के अंदर एल्युमिनियम के डिब्बे से आधा किलो गांजा निकाले, तराजू लेकर आये, उसका वेट 500 के.जी. निकला। फिर सीलबंद कर थाना लेकर आये और हस्ताक्षर किये थे।

(08) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना दिनांक 24.5.2009 को सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी शर्मा के साथ वह आरक्षक विजय, ब्रजलाल और अन्य गवाह घटनास्थल पर गए। शर्मा साहब को सूचना मिली थी कि आरोपी शंकर गेड़ाम गांजा रखा हुआ है। आरोपी अपने घर पर था। उन्होंने आरोपी की तलाशी के पूर्व अपने समस्त स्टाफ की तलाशी दिए। तलाशी के समय पुलिस स्टाफ के अतिरिक्त निक्की चौकसे वगैरह एक अन्य व्यक्ति था। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद आरोपी के पास से सामग्री की जप्ती वगैरह सब शर्मा साहब के द्वारा की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से जर्मन के डिब्बे में गांजा मिला था, जिसकी जप्ती बनाई थी। उसमें से गांजे की स्मेल आ रही थी, जिसे गवाहों को भी सुंघाकर दिखाये थे। उसे ठीक से याद नहीं है कि जप्त किया गांजा 1 कि.ग्रा. था। मौके पर ही शर्मा साहब ने तराजू बांट वगैरह बुलवाकर नापे थे और पंचनामा बनाये थे। गांजे को तौलकर उसमें से अलग सेम्पल निकालकर गवाहों के समक्ष सील किये। गांजे के अलग-अलग सेम्पल बनाकर सील किये और गांजे के डिब्बे को भी सीलबंद किये थे।

(09) अभियोजन साक्षी भगतसिंह (अ.सा. 6) का कहना है कि वह दिनांक 25.5.2009 को थाना रूपझर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त अवधि में थाना के अपराध क्र. 56/09, धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. की डायरी प्राप्त होने पर साक्षी शिवकुमार मिश्रा, निक्की चौकसे, आरक्षक ब्रजलाल क्र. 722, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र दुबे क्र. 471, आरक्षक विजय यादव क्र. 491 के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। घटनास्थल का नजरी नक्शा लेख करने तहसीलदार बेहर को तहरीर लेख किया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्र. 58/09 तैयार कर न्यायालय में पेश किया।

(10) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक विजय (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की ग्राम पानीटोला उकवा की सुबह 10 से 2 बजे के बीच की है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पानीटोला में आरोपी शंकर अपने घर के सामने गांजा रखे हुए है। फिर पुलिस चौकी का बल साथ में रवाना हुआ। घटनास्थल पर गये तो देखा कि आरोपी शंकर अपने छप्पर के सामने बैठा हुआ तलाशी दिये, उसके बाद

आरोपी की तलाशी ली गई। फिर आरोपी की तलाशी में एल्युमिनियम के डिब्बे से करीबन 500 ग्राम गांजा मिला। उसके बाद तराजू बांट वाले को नोटिस देकर बुलाये, उसके तराजू बांट का सत्यापन हुआ व उसके बाद गांजे का नाप-तौल हुआ। उसके बाद गांजे के परीक्षण के लिए 50-50 ग्राम के सेम्पल बनाये गये। उसके बाद जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(11) अभियोजन साक्षी दुरगुसिंह टेकाम (अ.सा. 8) का कहना है कि वह दिनांक 22.6.2009 को पटवारी हल्का नंबर 25 उकवा में पटवारी के पद पर पदस्थ था। नायब तहसीलदार बिरसा के आदेशानुसार उसने घटनास्थल का नजरी नक्श प्रपी-18 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(12) अभियोजन साक्षी भीमचंद पारधी (अ.सा. 9) का कहना है कि वह दिनांक 24.05.2009 को चौकी उकवा में आरक्षक के पद पर कार्यरत् था। चौकी प्रभारी द्वारा गोपनीय डाक देने से उसने एस.डी.ओ.पी. बैहर के कार्यालय में डाक भेजा था।

(13) अभियोजन साक्षी शिवकुमार मिश्रा (अ.सा. 2) का कहना है कि पुलिसवालों ने उसको बुलाया था। पुलिसवालों ने बताया कि आरोपी से गांजा पकड़े है। कागजात पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर लिये थे। मुखबिर सूचना पंचनामा प्रदर्श पी-1, तलाशी सहमति पंचनामा प्रदर्श पी-3, तलाशी पंचनामा स्टाफ व स्वयं की प्रदर्श पी-4, पंचनामा तलाशी संदेह व उसके सामान की प्रदर्श पी-5, पहचान व बरामदी पंचनामा प्रदर्श पी-6, तराजू व सारपासन पंचनामा प्रदर्श पी-7, तौल पंचनामा प्रदर्श पी-8, सेम्पल निकालने का पंचनामा प्रदर्श पी-9, नमूना सील पंचनामा प्रदर्श पी-11, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 पर उसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जप्ती नहीं हुई थी। उसने सिर्फ हस्ताक्षर किया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि शर्मा साहब ने उसे उकवा में एक जगह गांजा बेचने की सूचना मिली है के संबंध में जानकारी दी थी एवं साक्षी निक्की और पुलिस वालों के साथ पानीटोला के रास्ते आरोपी के घर गया था तथा पुलिस वालों के साथ जब आरोपी के यहां गया तो आरोपी के बाजू में एक एल्युमिनियम का डब्बा रखा था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिसवालों ने उसके सामने आरोपी

से पूछताछ की थी एवं उसके सामने आरोपी के पास से एक एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजा पाया गया था तथा सारी कार्यवाही उसके सामने हुई। साक्षी को उसका बयान प्रदर्श पी-18 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान देने से इंकार किया। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी से प्रदर्श पी-10 के अनुसार गांजा जप्त हुआ था।

(14) अभियोजन साक्षी निक्की चौकसे (अ.सा. 3) का कहना है कि वह घटना समय आरोपी के घर के सामने से गुजर रहा था। पुलिस के कहने पर उसने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। हस्ताक्षर करने के बाद उसके घर चला गया था। मुखबिर सूचना का पत्र प्रदर्श पी-01, तलाशी सहमति पंचनामा प्रदर्श पी-03, स्टाफ का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04, सन्देही आरोपी का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-05, बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी-06, तराजू पंचनामा प्रदर्श पी-07, समरस पंचनामा प्रदर्श पी-08, सेम्पल पंचनामा प्रदर्श पी-09, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10, नमूना शील प्रदर्श पी-11, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12, घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-18 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी घटना के समय पुड़िया में गांजा रखकर अवैध रूप से बेच रहा था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि वह पुलिस वालों के साथ मोटरसायकिल पर बैठकर आरोपी के घर गया था एवं आरोपी के पास से एक एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजा पाया गया था तथा उसके सामने गांजे को सुंघकर, चलाकर देखा गया था, जिसमें उसने गांजे की खूशबू पहचानी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी के पास से 500 ग्राम गांजा निकला था। साक्षी को प्रदर्श पी-19 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी प्रदर्श पी-19 के अ से अ भाग का बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके सामने अपना नाम शंकर होना बताया था।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों के अनुपालन नहीं किये गये इसलिये दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि अभियोजन के प्रकरण का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं किया जाता है तो आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी आर.के. शर्मा (अ.सा. 1) का कहना है कि वह दिनांक 24.05.2009 को चौकी उकवा में कार्यरत् था। मुखबिर द्वारा उसे सूचना दी गई थी कि पानीटोला मोहल्ला उकवा में शंकर गेडाम क्रीम कलर की शर्ट एवं आसमानी कलर की पेंट पहने हुये उसके घर के सामने छप्पर के नीचे एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया रखकर .100/-, 100/- रुपये में बेच रहा है। सूचना पर उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 587 पर दर्ज कर एस.डी.ओ.पी. को टेलीफोन से बताया, अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये जाने पर आरक्षक ब्रजलाल को कस्बा साक्षी को तलब करने हेतु रोजनामचा सान्हा 588 पर दर्ज कर रवाना किया। आरक्षक ब्रजलाल द्वारा साक्षी शिवकुमार एवं निक्की चौकसे को थाने लाकर पेश किया। साक्षियों को मुखबिर की सूचना का पंचनामा लेखबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-01 है। सान्हा एस.डी.ओ.पी. को भेजा गया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-02 है। हमराह प्रधान आरक्षक नरेन्द्र दुबे, ब्रजलाल, विजय मय अनुसंधान के एवं तराजू बांट के साथ तलब पंचाग के साथ मोटरसायकिल से पानीटोला मोहल्ला के अन्तिम छोर पर पहुंचने पर एक व्यक्ति दुबला-पतला दिखायी दिया। उसके पास एक एल्युमिनियम का डिब्बा था। नाम पता पूछने पर शंकर गेडाम होना पाया था। मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। 50 एन. डी.पी.एस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसकी तलाशी एवं उसके सामान की तलाशी का सहमति पंचनामा मौके पर तैयार किया। सन्देही द्वारा लिखित में सहमति देने पर 50 एन.डी.पी.एस के तहत प्रदर्श पी-03 का पंचनामा तैयार किया, जिस पर साक्षी शिवकुमार एवं निक्की चौकसे के और सन्देही शंकर गेडाम के हस्ताक्षर करवाये गये। सन्देही शंकर गेडाम के सामने हमराह स्टाफ की भी तलाशी ली गई, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-04 है। सन्देही शंकर गेडाम के पास पाये गये एल्युमिनियम की सफेद डिब्बे की तलाशी ली गई, डिब्बे में 50

ग्राम की छोटी-छोटी पन्निया पाई गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-05 है। सन्देही शंकर गेडाम के पास पाये गये अवैध मादक पदार्थ गांजा को सुंघकर देखकर एवं चलाकर तथा पुरानी अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया। साक्षियों द्वारा भी गांजे होने की पुष्टि की गई। मौके पर पहचान कार्यवाही और बरामदगी पंचनामा तैयार किया, जो प्रदर्श पी-06 है, जिस पर गवाह और आरोपी के हस्ताक्षर हैं। सन्देही शंकर गेडाम के समक्ष तराजू बांट का भौतिक सत्यापन का पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-07 है। सन्देही आरोपी शंकर गेडाम के कब्जे में पाये गये मादक पदार्थ को मय डिब्बे का वजन किया गया, जिसमें गांजा का वजन 250 ग्राम एवं 250 ग्राम वजन डिब्बे का कुल वजन 500 ग्राम होना पाया गया, जिसका तौल एवं समरस पंचनामा प्रदर्श पी-08 है। सन्देही आरोपी शंकर गेडाम से बरामद अवैध गांजा 500 ग्राम में से 50-50 ग्राम के दो सेम्पल निकालकर पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। सन्देही शंकर गेडाम के कब्जे में पाये गये शेष 400 ग्राम गांजा एल्युमिनियम का डिब्बा जप्त कर सीलबंद किया गया। 50-50 ग्राम की पन्निया आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 तथा 400 ग्राम गांजा के डिब्बे को "ए" मार्क किया गया और जप्ती पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-10 है। मौके पर आरोपी शंकर गेडाम के नमूने तैयार किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-11 है। आरोपी को पंचागों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। ए.डी.पी.एस. की धारा 52 में आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी को दी थी, जो प्रदर्श पी-13 है, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी -14 है। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-15 है। आरोपी को थाने लाकर चौकी पर अपराध क्रमांक 0/09 अन्तर्गत ए.डी.पी.एस. की धारा 8/20 कायम किया था, जो प्रदर्श पी-16 है। असल कायमी हेतु थाना रूपझर भेजा था। अपराध संबंधित धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. बैहर को भेजा गया, जो प्रदर्श पी-17 है। जप्त किये गांजे के परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफ.एस.एल सागर भेजा गया। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने आरोपी की घर की तलाशी लेने के संबंध में कोई सर्च वारण्ट नहीं लिया और न ही किसी निकटम मजिस्ट्रेट को सूचना दी। अनुमति संबंध कोई कागजात भी प्रकरण में पेश नहीं किये। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण

में यह भी स्वीकार किया है कि उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। तलाशी हेतु स्वयं ने वारण्ट नहीं लिया।

(17) अभियोजन साक्षी आरक्षक ब्रजलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि वह राजकुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक नरेंद्र दुबे के साथ आरोपी शंकर के मकान में गया था। आरोपी के घर के अंदर एल्युमिनियम के डिब्बे से आधा किलो गांजा निकाले, तराजू लेकर आये, उसका वेट 500 के.जी. निकला। फिर सीलबंद कर थाना लेकर आये और हस्ताक्षर किये थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि प्रदर्श पी-10 पर उसके एवं विजय यादव तथा नरेन्द्र यादव के हस्ताक्षर नहीं हैं। गांजा जप्ती करते समय वह मौके पर नहीं था, जब वह थाने से स्टाफ के साथ रवाना हुआ तो उस समय तराजू बांट नहीं ले गये थे। गांव वालों और स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर उसके सामने नहीं लिये गये। उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर किसी की भी तलाशी उसके सामने नहीं ली थी। आरोपी शंकर ने भी उसके सामने तलाशी नहीं दी थी।

(18) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना दिनांक 24.5.2009 को सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी शर्मा के साथ वह आरक्षक विजय, ब्रजलाल और अन्य गवाह घटनास्थल पर गए। शर्मा साहब को सूचना मिली थी कि आरोपी शंकर गेड़ाम गांजा रखा हुआ है। आरोपी अपने घर पर था। उन्होंने आरोपी की तलाशी के पूर्व अपने समस्त स्टाफ की तलाशी दी। तलाशी के समय पुलिस स्टाफ के अतिरिक्त निक्की चौकसे वगैरह एक अन्य व्यक्ति था। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद आरोपी के पास से सामग्री की जप्ती वगैरह सब शर्मा साहब के द्वारा की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से जर्मन के डिब्बे में गांजा मिला था, जिसकी जप्ती बनाई थी। उसमें से गांजे की स्मेल आ रही थी, जिसे गवाहों को भी सुंघाकर दिखाये थे। उसे ठीक से याद नहीं है कि जप्त किया गांजा 1 कि.ग्रा. था। मौके पर ही शर्मा साहब ने तराजू बांट वगैरह बुलवाकर नापे थे और पंचनामा बनाये थे। गांजे को तौलकर उसमें से अलग सेम्पल निकालकर गवाहों के समक्ष सील किये। गांजे के अलग-अलग सेम्पल बनाकर सील किये और गांजे के डिब्बे को भी सीलबंद किये थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में

बताया है कि वह थाने से तराजू एवं बांट विवेचना के लिये नहीं ले गये थे। किड बॉक्स भी घटना के समय नहीं ले गये थे। आरोपी के मकान की तलाशी का सर्च वारण्ट प्राप्त नहीं किया था। आरोपी के कब्जे और मालिकी की भूमि में घूमने के पश्चात् तलाशी पंचनामा बनाया था।

(19) अभियोजन साक्षी भगतसिंह (अ.सा. 6) का कहना है कि वह दिनांक 25.5.2009 को थाना रूपझर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त अवधि में थाना के अपराध क्र. 56/09, धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. की डायरी प्राप्त होने पर साक्षी शिवकुमार मिश्रा, निक्की चौकसे, आरक्षक ब्रजलाल क्र. 722, प्रधान आरक्षक नरेंद्र दुबे क्र. 471, आरक्षक विजय यादव क्र. 491 के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। घटनास्थल का नजरी नक्शा लेख करने तहसीलदार बैहर को तहरीर लेख किया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्र. 58/09 तैयार कर न्यायालय में पेश किया। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि सर्च वारण्ट प्राप्त नहीं किया था।

(20) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक विजय (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की ग्राम पानीटोला उकवा की सुबह 10 से 2 बजे के बीच की है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पानीटोला में आरोपी शंकर अपने घर के सामने गांजा रखे हुए है। फिर पुलिस चौकी का बल साथ में रवाना हुआ। घटनास्थल पर गये तो देखा कि आरोपी शंकर अपने छप्पर के सामने बैठा हुआ तलाशी दिये, उसके बाद आरोपी की तलाशी ली गई। फिर आरोपी की तलाशी में एल्युमिनियम के डिब्बे से करीबन 500 ग्राम गांजा मिला। उसके बाद तराजू बांट वाले को नोटिस देकर बुलाये, उसके तराजू बांट का सत्यापन हुआ व उसके बाद गांजे का नाप-तौल हुआ। उसके बाद गांजे के परीक्षण के लिए 50-50 ग्राम के सेम्पल बनाये गये। उसके बाद जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर है।

(21) अभियोजन साक्षी दुरगुसिंह टेकाम (अ.सा. 8) का कहना है कि वह दिनांक 22.6.2009 को पटवारी हल्का नंबर 25 उकवा में पटवारी के पद पर पदस्थ था। नायब तहसीलदार बिरसा के आदेशानुसार उसने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-18

तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(22) अभियोजन साक्षी भीमचंद पारधी (अ.सा. 9) का कहना है कि वह दिनांक 24.05.2009 को चौकी उकवा में आरक्षक के पद पर कार्यरत था। चौकी प्रभारी द्वारा गोपनीय डाक देने से उसने एस.डी.ओ.पी. बैहर के कार्यालय में डाक भेजा था।

(23) किन्तु अभियोजन साक्षी शिवकुमार मिश्रा (अ.सा. 2) का कहना है कि पुलिसवालों ने उसको बुलाया था। पुलिसवालों ने बताया कि आरोपी से गांजा पकड़े है। फिर पुलिस ने उसे बाहर बैठाया था तथा सारे कागजात पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर लिये थे। मुखबिर सूचना पंचनामा प्रदर्श पी-1, तलाशी सहमति पंचनामा प्रदर्श पी-3, तलाशी पंचनामा स्टाफ व स्वयं की प्रदर्श पी-4, पंचनामा तलाशी संदेह व उसके सामान की प्रदर्श पी-5, पहचान व बरामदी पंचनामा प्रदर्श पी-6, तराजू व सारपासन पंचनामा प्रदर्श पी-7, तौल पंचनामा प्रदर्श पी-8, सेम्पल निकालने का पंचनामा प्रदर्श पी-9, नमूना सील पंचनामा प्रदर्श पी-11, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 पर उसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जप्ती नहीं हुई थी। उसने सिर्फ हस्ताक्षर किया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि शर्मा साहब ने उसे उकवा में एक जगह गांजा बेचने की सूचना मिली है के संबंध में जानकारी दी थी एवं साक्षी निक्की और पुलिस वालों के साथ पानीटोला के रास्ते आरोपी के घर गया था तथा पुलिस वालों के साथ जब आरोपी के यहां गया तो आरोपी के बाजू में एक एल्युमिनियम का डब्बा रखा था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिसवालों ने उसके सामने आरोपी से पूछताछ की थी एवं उसके सामने आरोपी के पास से एक एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजा पाया गया था तथा सारी कार्यवाही उसके सामने हुई। साक्षी को उसका बयान प्रदर्श पी-18 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी से प्रदर्श पी-10 के अनुसार गांजा जप्त हुआ था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके सामने प्रपत्रों की कार्यवाही नहीं की गई। उसने मात्र हस्ताक्षर किये थे।

(24) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी निक्की चौकसे (अ.सा. 3) का कहना है कि वह घटना समय आरोपी के घर के सामने से गुजर रहा था। पुलिस के कहने पर उसने

कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। हस्ताक्षर करने के बाद उसके घर चला गया था। मुखबिर सूचना का पत्र प्रदर्श पी-01, तलाशी सहमति पंचनामा प्रदर्श पी-03, स्टाफ का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04, सन्देही आरोपी का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-05, बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी-06, तराजू पंचनामा प्रदर्श पी-07, समरस पंचनामा प्रदर्श पी-08, सेम्पल पंचनामा प्रदर्श पी-09, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10, नमूना शील प्रदर्श पी-11, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12, घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-18 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी घटना के समय पुड़िया में गांजा रखकर अवैध रूप से बेच रहा था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि वह पुलिस वालों के साथ मोटरसायकिल पर बैठकर आरोपी के घर गया था एवं आरोपी के पास से एक एल्युमिनियम के डिब्बे में गांजा पाया गया था तथा उसके सामने गांजे को सुंघकर, चलाकर देखा गया था, जिसमें उसने गांजे की खूशबू पहचानी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी के पास से 500 ग्राम गांजा निकला था। साक्षी को प्रदर्श पी-19 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी प्रदर्श पी-19 के अ से अ भाग का बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके सामने अपना नाम शंकर होना बताया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 पर उसके एवं विजय तथा नरेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(25) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी उपनिरीक्षक आर.के.शर्मा (अ.सा. 1), ब्रजलाल (अ.सा. 4), आरक्षक नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 5), निरीक्षक भगतसिंह (अ.सा. 6), प्रधान आरक्षक विजय (अ.सा. 7), आरक्षक भीमचंद पारधी (अ.सा. 9) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनाकर्ता तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी दुरगुसिंह (अ.सा. 8), शिवकुमार (अ.सा. 2), निक्की चौकसे (अ.सा. 3) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन किया जाना एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र

साक्षी शिवकुमार (अ.सा. 2), निक्की चौकसे (अ.सा. 3) का अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आरोपी दिनांक 24.05.2009 को 13.50 बजे अपने मकान ग्राम पानीटोला उकवा थानांतर्गत रूपझर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा (केनेबिस) की कुल 500 ग्राम अल्प मात्रा में, स्वयं के उपयोग या अन्य किसी के उपयोग किये जाने हेतु बिना अनुज्ञप्ति पाया गया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(26) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक 24.05.2009 को 13.50 बजे अपने मकान ग्राम पानीटोला उकवा थानांतर्गत रूपझर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा (केनेबिस) की कुल 500 ग्राम स्वयं के उपयोग या अन्य किसी के उपयोग किये जाने हेतु बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपी को स्वपाक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा-8(क), 20 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(29) प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ 500 ग्राम गांजा मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)